मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई, 2016 (आषाढ़ 31, शक सम्वत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. अध्यक्षीय निर्देश

प्रश्नों के उत्तरों की जानकारी समय पर न आने विषयक

श्री बाला बच्चन, उपनेता प्रतिपक्ष द्वारा तारांकित प्रश्नोंत्तर प्रारंभ होते ही व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया, जिस पर आसंदी से व्यवस्था दी गई कि प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है.

श्री बाला बच्चन द्वारा आसंदी के माध्यम से सदन का ध्यानाकर्षित किया कि मध्यप्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि राजस्व विभाग संबंधी 36 तारांकित व 21 अतारांकित, कुल 57 प्रश्नों का यह उत्तर दिया है कि कलेक्टरों से जानकारी अप्राप्त है, जानकारी ली जा रही है. उन्होंने आसंदी से शासन को निर्देश देने की मांग की. कलेक्टर हमारे प्रश्नों को गंभीरता से नहीं लेते. इस पर डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा खानेदार अलमारी से सभी तारांकित प्रश्नों की जानकारी आने का उल्लेख किया गया.

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि – माननीय उपनेता प्रतिपक्ष ने जो यह विषय उठाया है इसमें 2 बिन्दु हैं. यद्यपि प्रश्नोत्तरी में लिखा है कि कलेक्टर से जानकारी अप्राप्त है, किन्तु सभा में चर्चा में आने वाले सभी तारांकित प्रश्नों के उत्तर आ गये हैं. फिर भी मेरी शासन से यह अपेक्षा है कि सभी उत्तर समय पर आ जायें और भविष्य में ऐसा न लिखा जाये, इसको मंत्री महोदय सुनिश्चित करें.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 11 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एवं 11) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 151 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 153 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य की मध्यप्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के उप संचालक द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने,
(2) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य की ग्वालियर में पुलिस द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज न किये जाने,
(3) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य की समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुष्पराजगढ़, अनूपपुर से नवजात शिशु के गायब होने,
(4) श्री गिरीश भण्डारी, सदस्य की नरसिंहगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मंगलाद्वीप में दूषित पानी से हैजा फैलने,
(5) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य की नीमच जिले के ग्राम गुलाबखेड़ी से उमाहेड़ा तक सड़क मार्ग के जर्जर होने,
(6) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की प्रदेश के नालों पर अतिक्रमण किये जाने से समस्या उत्पन्न होने,
(7) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना सुमावली विधानसभा क्षेत्र की ए.बी. रोड की जर्जर हालत होने,
(8) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य की सीहोर जिले के इछावर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रामनगर में सीमेंट कांक्रीट रोड की हालत जर्जर होने,
(9) श्री दिलीप सिंह शेखावत, सदस्य की मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल में अप्रशिक्षित श्रमिकों को ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता न की जाने,
(10) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य की गुना व अशोक नगर की सहकारिता समितियों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशि का गबन करने,
(11) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी होने,
(12) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य की खण्डवा के विकास खण्ड बलड़ी के विद्युत वितरण केन्द्र को किल्लोद बलड़ी में वापस करने,
(13) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की नरयावली विधानसभा क्षेत्र में हाई स्कूल भवनों के निर्माण कार्य में अनियमितता होने,
(14) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की शहडोल जिले में छात्रावास हेतु सामग्री क्रय में अनियमितता होने,
(15) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी, सदस्य की बड़वाह व सनावद क्षेत्र में पुलियों की मरम्मत न होने से आवागमन बाधित होने,

(16) श्री ठाकुरदास नागवंशी, सदस्य की होशंगाबाद के हनुमान मंदिर ट्रस्ट की सम्पत्ति को अधिकारियों द्वारा हानि पहुंचाने,

(17) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य की विधान सभा क्षेत्र सेवढ़ा व इंदरगढ़ में अवैध शराब दुकानें संचालित होने,

(18) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य की रामस्थान, विकासखण्ड, सोहावल जिला-सतना में अवैध उत्खनन होने,

(19) श्री जितेन्द्र गेहलोत, सदस्य की आलोट विधानसभा क्षेत्र में शासकीय महाविद्यालय के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार व लापरवाही होने,

(20) श्री नारायण सिंह पंवार, सदस्य की राजगढ़ जिले के ग्राम बंझारी के समीप सूकड़ नदी पर पुलिया निर्माण कार्य न होने,

(21) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य की मऊगंज के ग्राम हर्रईगुजरान के डिपो में बांस की राशि का गबन किये जाने,

(22) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में विद्युत समस्या होने,

(23) श्री इन्दर सिंह परमार, सदस्य की शाजापुर जिले के शुजालपुर-कालापीपल विकासखण्ड के 10वीं के अनुपस्थित छात्रों को पुन: परीक्षा देने की अनुमति दी जाने,

(24) श्री जितू पटवारी, सदस्य की प्रदेश में शराबबंदी न होने से आपराधिक घटनाएं होने,

(25) श्री प्रहलाद भारती, सदस्य की पोहरी विधानसभा क्षेत्र के हायर सेकेण्डरी स्कूलों में कृषि संकाय प्रारम्भ करने,

(26) श्री दिनेश राय, सदस्य की सिवनी जिले की खदानों में अवैध उत्खनन होने,

(27) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की पश्चिम क्षेत्र एम.पी.ई.बी. उज्जैन जिले में ट्रांसफार्मर वसूली के बदले बंद किये जाने,

(28) श्री मधु भगत, सदस्य की परसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में सड़क निर्माण होने,

(29) श्रीमती शीला त्यागी, सदस्य की जिला रीवा में सलैया से वेलबा वैकान पहुंच मार्ग का निर्माण करने,

(30) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया, सदस्य की क्षेत्रीय सड़क मार्गों की मरम्मत की जाने,

(31) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य की देवास जिले में बिजवाड़ा से दिबगांव सड़क की मरम्मत की जाने,

(32) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य की पुलिस अधीक्षक, छतरपुर की उदासीनता से अपराधों में बढ़ौत्री होने

(33) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य की सीधी व सिंगरोली जिले में विद्युत आपूर्ति की समस्या होने,

(34) श्री आर.डी. प्रजापति, सदस्य की छतरपुर जिले के चंदला विधानसभा क्षेत्र में अवैध उत्खनन होने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

4. अध्यक्षीय व्यवस्था

प्रश्नकाल के तुरन्त बाद ध्यानाकर्षण लिया जाना

श्री बाबूलाल गौर, सदस्य ने आसंदी से यह अनुरोध किया कि मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के अनुसार ध्यानाकर्षण प्रश्नकाल के तुरन्त बाद लिया जाना चाहिये. इसलिये इसके पहले कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है. अध्याय 15 ध्यानाकर्षण के नियम 138 के "पृष्ठ 60 और 61" में उल्लेख है कि - “कोई सदस्य अध्यक्ष की पूर्व अनुज्ञा से,अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी विषय पर मंत्री का ध्यान आकर्षित कर सकेगा और मंत्री संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा या बाद के किसी समय या तिथि को वक्तव्य देने के लिये समय मांग सकेगा”. इसके उपनियम (5) में प्रस्तावित विषय प्रश्नकाल के बाद लेने का उल्लेख है. अत: कार्यसूची में क्रमश: 2 पर ध्यानाकर्षण लिया जाना चाहिये. इसको क्रमांक 3 पर क्यों किया गया है?

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि - श्री बाबूलाल गौर, माननीय वरिष्ठतम सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, उसके बारे में मैं उनका ध्यान ' अध्यक्ष के स्थायी आदेश, अध्याय 1- सभा के समक्ष कार्य का क्रम की ओर आकर्षित करना चाहता हूं. इसमें कार्य का क्रम लिखा हुआ है कि -"शपथ या प्रतिज्ञान, राज्यपाल का अभिभाषण, मंत्रियों का परिचय, निधन संबंधी उल्लेख, प्रश्न (अल्प सूचना प्रश्नों सहित), सभा का कार्य स्थगित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति (अर्थात् स्थगन प्रस्ताव), विशेषाधिकार भंग संबंधी प्रश्न. नियम 267-क के अधीन ऐसे मामले उठाना जो औचित्य का प्रश्न नहीं हैं, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र," जो अभी हम रख रहे हैं." राज्यपाल के संदेश सुनाना, कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार करने के लिये प्रस्ताव, विधेयकों पर राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति की अनुमति के बारे में सूचना. सभा के सदस्यों की गिरफ्तारी, नजरबंदी के संबंध में सूचना तथा क्रमांक 14 नंबर पर है - ध्यान दिलाने वाली सूचना." अत: आपसे अनुरोध है कि आपने जो नियमावली उद्धरित की है वह सही है. किन्तु अध्यक्ष के स्थायी आदेश के तहत कार्य के क्रम निर्धारित किये गये हैं, उनके अनुसार यह कार्यवाही चल रही है. (माननीय सदस्य द्वारा पुन: विषय उठाने पर) विषय समाप्त हो गया है. इसलिए इस पर बहस की अनुमति नहीं है. अध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था पर कोई विचार-विमर्श नहीं होता है.

5. शून्यकाल में उल्लेख

(1) भोपाल शहर में दूषित पेयजल सप्लाई होने विषयक

श्री आरिफ अकील, सदस्य द्वारा यह विषय उठाया गया कि – भोपाल शहर में दूषित पेयजल के प्रदाय के कारण लोग बीमार एवं परेशान हो रहे हैं. अयोग्य लोगों से जल प्रदाय की व्यवस्था कराई जा रही है, उस बारे में ध्यानाकर्षण दिया है.

(2) सेवढ़ा विधान सभा क्षेत्र में विद्युत वोल्टेज कम आने विषयक

श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य द्वारा यह विषय उठाया गया कि – पिछले कुछ दिनों से उनके विधान सभा क्षेत्र में लाईट डिम आने के कारण प्रकाश, पंखे तथा पानी की मोटरों संबंधी व्यवस्था बाधित हुई हैं. ग्वालियर, दतिया एवं विधान सभा क्षेत्र के समस्त अधिकारियों से सम्पर्क करने के बाद भी व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है, इस कारण जनता में आक्रोश व्याप्त है. शीघ्र ही व्यवस्था में सुधार किया जाए.

(3) प्रति मंगलवार को जनसुनवाई में स्थानीय विधायक को भी शामिल किये जाने विषयक

श्री निशंक कुमार जैन, सदस्य द्वारा यह विषय उठाया गया कि –प्रति मंगलवार को जनसुनवाई में औपचारिकता होती है इसलिए मेरा आसंदी के माध्यम से शासन के समक्ष यह सकारात्मक सुझाव है कि ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि क्षेत्रीय विधायक को भी उसमें शामिल किया जाए.

(4) एक आदिवासी छात्रा की देह शोषण के विरूद्ध रिपोर्ट न लिखी जाने विषयक

श्री दिनेश राय, सदस्य द्वारा यह विषय उठाया गया कि – सिवनी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम विजयपानी की एक आदिवासी छात्रा के साथ वहां के शिक्षक ने देह शोषण किया, उसकी शिकायत कल बरघाट में और कान्हीवाड़ा थाने में 4 घंटे तक रिपोर्ट नहीं लिखी गई. वहां के थानेदार ने उनको गोली मारने तक की धमकी दे दी. मैंने जब हस्तक्षेप किया, तब रात 12 बजे रिपोर्ट लिखी गई है.

(5) शांति व्यवस्था भंग करने वाले अपराधियों पर कार्रवाई करने विषयक

श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य द्वारा यह विषय उठाया गया कि – मैंने ध्यानाकर्षण दिया है नगर में 3 जून को दंगा हुआ, 18 अपराधी नामजद हैं और 90 अज्ञात हैं, वे आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, उन पर धारा 307 के प्रकरण दर्ज हैं, शांति व्यवस्था को लेकर मेरा यह आग्रह है कि ध्यानाकर्षण पर शीघ्र चर्चा कराई जाए.

(6) जले हुए ट्रांसफार्मरों को बदले जाने विषयक

श्री मुकेश नायक, सदस्य द्वारा यह विषय उठाया गया कि – ब्लाक पवई, शाहनगर के अंतर्गत ग्रामीण अंचलोंके खराब ट्रांसफार्मर छतरपुर मुख्यालय से समय पर बदले नहीं जाते हैं. आसंदी के माध्यम से शासन का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि समय पर ट्रांसफार्मर्स बदलने और उनके परिवहन के निर्देश दिए जाएं.

श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य द्वारा भी यही विषय उठाया गया कि – सिंहावल विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में महीनों से ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, किसान परेशान है क्योंकि रोपा तैयार करके रखा है. अतरेला, लिलवार, खोचीपुर आदि गांवों में ट्रांसफार्मर्स जले हैं, उन्हें बदला जाए और इसलिए वहां के बिजली के बिल भी माफ किये जांए.

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने मॉयल लिमिटेड की 51 वीं तथा 52 वीं वार्षिक रिपोर्ट क्रमश: वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 पटल पर रखीं.

(2) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री ने -

(क) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षण रिपोर्ट, वर्ष 2015-16, तथा

(ख) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15

पटल पर रखे.

(3) श्री लालसिंह आर्य, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन ने –

(क) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का 58 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 तथा

(ख) मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014 पटल पर रखे.

7. ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा उल्लेख किया गया कि विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यान आकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं, परन्तु सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त धयानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में 4 सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हो केवल वे ही प्रश्न पूछकर इन ध्यान आकर्षण सूचनाओं पर यथाशीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें. मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है. तद्नुसार -

(1) श्री बाला बच्चन, उप नेता प्रतिपक्ष ने बड़वानी जिले में मनरेगा एवं अन्य योजनाओं में किये गये कार्य अपूर्ण होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) सर्वश्री बाबूलाल गौर एवं जितू पटवारी, सदस्यगण ने भोपाल एवं इंदौर में मेट्रो रेल परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब होने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(3) सर्वश्री अजय सिंह, यादवेन्द्र सिंह, प्रेम सिंह, केदारनाथ शुक्ल, शंकरलाल तिवारी सदस्यगण ने सतना में फ्लाई-ओवर निर्माण में अनियमितता होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री रामपाल सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

8. गर्भगृह में प्रवेश

श्रीमती ऊषा चौधरी एवं श्रीमती शीला त्यागी, सदस्यगण ध्यानाकर्षण पर बोलने की अनुमति नहीं दिये जाने की बात कहते हुए गर्भगृह में आ गईं.

9. ध्यान आकर्षण (क्रमश:)

(4) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य ने प्रदेश में नई गाईड लाईन से अचल सम्पत्ति की बिक्री प्रभावित होने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(2) श्री मुरलीधर पाटीदार (जिला-आगर-मालवा)
(3) श्री रजनीश सिंह (जिला-सिवनी)
(4) श्री सूबेदार सिंह रजौधा (जिला-मुरैना)
(5) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(6) श्री विजय सिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(7) श्री कैलाश चावला (जिला-नीमच)
(8) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया (जिला-मन्दसौर)
(9) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)
(10) श्री हरदीप सिंह डंग (जिला-मन्दसौर)
(11) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(12) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)
(13) श्री मुकेश पण्ड्या (जिला-उज्जैन)
(14) श्री नारायण सिंह पंवार (जिला-राजगढ़)
(15) श्री सुखेन्द्र सिंह (जिला-रीवा)
(16) श्री रामनिवास रावत (जिला-श्योपुर)
(17) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(18) श्री सुशील कुमार तिवारी (जिला-जबलपुर)
(19) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(20) श्री शैलेन्द्र पटेल (जिला-सीहोर)
(21) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(22) श्री आर.डी. प्रजापति (जिला-छतरपुर)
(23) श्री प्रहलाद भारती (जिला-शिवपुरी)

11. राज्यमंत्री सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास का वक्तव्य

श्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री सहकारिता ने भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास ने दिनांक 26 फरवरी, 2016 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 84 (क्रमांक 1649) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया.

12. लोक लेखा तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु निर्वाचन

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - "सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उपनियम (3) तथा नियम 234-ढ़ के उपनियम (2) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2016-2017 की शेष अवधि के लिए लोक लेखा समिति में रिक्त दो स्थानों तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समिति में रिक्त एक स्थान की पूर्ति के लिए अपने में से क्रमश: दो एवं एक सदस्य के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों.".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

13. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु निर्वाचन

श्री ज्ञान सिंह, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि – "सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2016-2017 की शेष अवधि के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में रिक्त एक स्थान की पूर्ति के लिए अपने में से एक सदस्य (अनुसूचित जनजाति) के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों.".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

निर्वाचन कार्यक्रम

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नानुसार निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारित करने की घोषणा की गई -

(1) नाम-निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में सोमवार, दिनांक 25 जुलाई, 2016 को अपराह्न 3.00 बजे तक दिये जा सकते हैं.

(2) नाम-निर्देशन प्रपत्रों की जांच मंगलवार, दिनांक 26 जुलाई, 2016 को अपराह्न 1.00 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक- 6 में होगी.

(3) उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना बुधवार, दिनांक 27 जुलाई, 2016 को अपराह्न 2.00 बजे तक इस सचिवालय में दी जा सकती है.

(4) निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान गुरुवार, दिनांक 28 जुलाई, 2016 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक होगा.

(5) निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा.
उपर्युक्त निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने प्रपत्र एवं उम्मीदवारी से नाम वापिस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं.

14. वर्ष 2016-2017 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार, वर्ष 2016-17 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 25 जुलाई, 2016 को 2 घन्टे का समय नियत किया गया.

15. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 15 सन् 2016) पुर:स्थापित किया.

(1.33 बजे से 3.13 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

16. अध्यक्षीय घोषणा
नियम 139 के अंतर्गत चर्चा अगले कार्य दिवस पर लेने विषयक

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति पर नियम 139 के अंतर्गत के चर्चा अगले कार्य दिवस पर करायी जायेगी. आज शुक्रवार है, अत: अब अशासकीय कार्य लिया जायेगा.

17. अशासकीय संकल्प

(1) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि - "सदन का यह मत है कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया की समयावधि को कम किया जाये.". तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा प्रस्तुतकर्ता से संकल्प वापस लेने का अनुरोध किया.

सदन द्वारा अनुमति प्रदान की गई.
संकल्प वापस हुआ.

(2) श्रीमती रंजना बघेल, सदस्य का मध्यप्रदेश में विमुक्त, घुमक्कड़, अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति के साथ इसकी उपजाति गडरिया, कुरमार, हाटकार, गाडरी (पाल बघेले) गारी, गायरी को भी शामिल करने का संकल्प पर उनका नाम पुकारा गया किन्तु उनकी अनुपस्थिति के कारण संकल्प प्रस्तुत नहीं हो सका.

(3) सर्वश्री केदारनाथ शुक्ल, प्रदीप अग्रवाल, रामलल्लू वैश्य, दिनेश राय, सुखेन्द्र सिंह, सदस्यगण ने क्रमश: निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किये कि - "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि – (1) शहडोल ब्यौहारी - सीधी-इलाहाबाद रेल लाईन बनाई जाए, (2) भिण्ड से दतिया तक नई रेल्वे लाईन का निर्माण किया जाये, (3) बरगवां से व्हाया अमलोरी, बैढ़न तक रेल मार्ग का निर्माण कराया जाये, (4) जबलपुर से बरगी, कुरई, खवासा, मनसर, कामठी, नागपुर तक सीधी नई रेल लाईन का निर्माण किया जाए, तथा (5) मऊगंज से होकर रीवा-मिर्जापुर नयी रेल्वे लाईन का निर्माण कराया जाए.

संकल्प प्रस्तुत हुये.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री केदारनाथ शुक्ल
(2) श्री प्रदीप अग्रवाल
(3) श्री रामलल्लू वैश्य
(4) श्री दिनेश राय
(5) श्री सुखेन्द्र सिंह

श्री भूपेन्द्र सिंह, परिवहन मंत्री ने एकजाई रूप से चर्चा का उत्तर दिया.

एकजाई संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

अपराह्न 3.47 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 25 जुलाई, 2016 (श्रावण 3, शक सम्वत् 1938) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 22 जुलाई, 2016